बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com
महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 26 दिनांक 1-10-19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उपसमाहर्त्ता को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष, 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3687 दिनांक 26.04.2010 (प्रति संलग्न) के कंडिका–1(iv) द्वारा "प्रत्येक जिला" में पाँच पदस्थापित वरीय उपसमाहर्त्ता के लिए 1 वाहन तथा पाँच से अधिक पदस्थापित वरीय उपसमाहत्ताओं तक के लिए 2 वाहन" की स्वीकृति दी गई थी।

उक्त समय बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप प्रोन्नति में Stagnation हो गई थी। वर्तमान समय सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 12/वि05050/16सा0 प्रा0/दि0 25.05.2018 के द्वारा कुल 484 विभिन्न पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुरूप जिला एवं अन्य कार्यालय में पदाधिकारियों के लिए तदनुसार वाहन एवं अन्य व्यवस्था आवश्यक है। वर्तमान में बैचं 56–59 के पदाधिकारियों का जिला स्तर पर वरीय उपसमाहर्त्ता एवं समकक्ष पर पदस्थापित किया गया तथा 60–62 बैच के पदाधिकारियों को परीक्ष्यमान उपसमाहर्त्ता के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।

वर्तमान समय में वरीय उपसमाहर्त्ताओं की संख्या एवं उसके कार्य की विशिष्टता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पूर्व में निर्गत पत्र 36–87 दिनांक 26.04.2010 को संशोधित की जाय तथा सभी वरीय उपसमाहर्त्ताओं को वाहन उपलब्ध कराने का निदेश जारी किया जाय। साथ ही परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्त्ता को भी वाहन उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किया जाय। महिला पदाधिकारियों के लिए विशेष व्यवस्था (Common Room एवं अलग प्रसाधन इत्यादि) करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को उचित निदेश दिये जाने की भी कृपा किया जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव
(बासा)

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष
(बासा)

संचिका संख्या– 4/बजट(विविध)6–10/2010 3689

बिहार सरकार,

सामान्य प्रशासन विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अतुल कुमार सिंहा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 20.4.10

द्वारा– वित्त विभाग ।

विषय– जिलों एवं अनुमण्डलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर ली जाने वाली वाहन की स्वीकृति ।

महाशय,

बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के कोटिवार पदों यथा अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्यक्रम के 9 पद, अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन के 18 पद, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था के 9 पद सृजित/उत्क्रमित किए गए हैं । उसी प्रकार 22 जिलों में नगर दण्डाधिकारी के 22 पद सृजित किए गए हैं । प्रत्येक अनुमण्डल में कार्यपालक दण्डाधिकारी के संपूर्ण पदबल के अनुसार पदस्थापन की गई है । इन पदों के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है । इन सभी पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों को सरकारी कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन की आवश्यकता होगी । उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(i) प्रत्येक अनुमण्डल के एक–एक अतिरिक्त वाहन– कुल 101 वाहन

(ii) प्रत्येक अपर समाहर्त्ता (विशेष कार्यक्रम), प्रत्येक अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) एवं प्रत्येक अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) के लिए एक–एक वाहन-- कुल 36 वाहन

(iii) प्रत्येक नगर दण्डाधिकारी के लिए एक–एक वाहन-- कुल 22 वाहन

(iv) प्रत्येक जिला में पाँच पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं तक के लिए 1 वाहन तथा पाँच से अधिक पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ताओं के लिए 2 वाहन

2. वाहन को भाड़े पर लेने की कार्रवाई जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी जो बिहार वित्त संशोधन नियमावली--2005 में अंतर्निहित प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में निविदा निकालकर वाहन भाड़े की दर तय करेंगे ।

3 भाड़े पर ली जाने वाली वाहन का व्यय का वहन मुख्य शीर्ष--2053--जिला प्रशासन(अनुमण्डल स्थापना) के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं की अदायगियों में उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

4. जिला पदाधिकारी द्वारा कंडिका –3 के आलोक में तय किए गए भाड़े की दर की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने पर एकमुश्त आवंटन प्रदान कर दिया जाएगा ।

5 उपर्युक्त पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(अतुल कुमार सिंहा),
सरकार के संयुक्त सचिव ।

क05030

ज्ञापांक–4/बजट(विविध)6–10/2010 3687 पटना, दिनांक 3.6.4.12

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित ।

(अतुल कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव ।